

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/23/40.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/ 23/24 दिनांक 07-08-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला रायगढ़ में विद्यमान 79 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 31 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला रायगढ़ के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/ 2019/23/23 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला रायगढ़ की समितियों के पुनर्गठन हेतु 25 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 29-09-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 02-10-2020 द्वारा 14 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 11 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/ 2019/23/24 दिनांक 07-08-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 02-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09/10/2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला रायगढ़ में विद्यमान 79 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 31 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सार्वराज, उप-सचिव.

**जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची - एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्य क्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	लोइंग	पतरापाली	टारपाली
2	घरघोडा	बिछीनारा	कुर्मीभौना
3	कुडुमकेला	औरामुडा	कुर्मीभौना
4	छर्गाटांगर	बिलासखार	टेण्डा नावापारा
5	जरेकेला	बासनपाली	तमनार
6	सराईपाली	तराईमाल	तमनार
7	खम्हरिया	भालूमुडा	सराईटोला
8	उरबा	मिलुपारा	खम्हरिया
9	चपले	जबलपुर	बानीपाथर
10	खरसिया	दुसेकेला	बानीपाथर
11	हालाहुली	रतनमहका, गोपीमहका	खरसिया
12	लैलूगा	राताखंड	राजपुर
		लोहडापानी, ढोरौबीजा	मुकडेगा

		रेंगडी, अंगेकेला, गोसाईडीह	लारीपानी
13	केशला 100	पिपराही, कोडामाई	लिबरा
14	राजपुर	बांसडांड, सरडेगा	कोडासिया
15	लारीपानी	नहरकेला	केशला 100
16	सिसरिंगा	कर्पीयाभौना	कापू
17	बडे हरदी	गुड्डु	पुसौर
18	धरमजयगढ़	कोयलार	खडगांव 180
19	खडगांव 839	बगझर	जोबी
20	जतरा	सुलौनी	पुसौर
21	बरमकेला	डभरा	लोधिया
22	गाताडीह	छुलीपाली, गोपाल भौना	उलखर

अनुसूची - दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्य क्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	नंदेली	बायंग	बायंग, रानीगुडा, पंझर, बैसपाली, नवापारा, जुनवानी,
2	भातपुर	कांटाहरदी	कांटाहरदी, सहसपुरी, बरदापुटी, बसंतपुर, नावागांव
3	धौरामांठा	हमीरपुर	हमीरपुर, भगोरा, बरकछार, चकाबहाल, कुसमेल, देवगांव, पडीगांव, गौरबहरी, अमलीढोडा, जोबरो पाली, कर्मागढ़, केनानीबहाल
4	गोरा	नवापारा (माण्ड)	नवापारा (माण्ड), धनगांव, रुचिदा, लिटाईपाली, रावनखोदरा, घुघुवा सेमीभावर
5	कोडातराई	तेलीपाली	तेलीपाली, खोखरा, बिजना, लिंजिर, जोगीतराई, कंवरिया,
6	केशला 331	गढउमरिया	अमलीपाली, आमापाली, गढउमरिया, छातामुडा, सहदेवपाली, मौहापाली
7	कनकबीरा	कपरतुंगा	कपरतुंगा, रोहिनापाली, खरवानी छोटे, बनहर, खम्हारपाली, बगबध, भाटाकोना, लुरका, गोमर्डा, जवाहर नगर, सरियादरहा, नवापाली, छातादेई, परसदा छोटे, परसकोल, कोरापानी, भालूपानी, अमलीपाली ब, छिंचपानी, पाकरडीह, तेंदुवा
8	अमझर	मल्दा (ब)	मल्दा (ब), बरगांव (विरान), बंधापाली, देवसर (विरान), झीलगिटार, बुंदेली, बरपाली (विरान), डोमाडीह, खरवानी
9	नौरंगपुर	कोसीर छोटे	कोसीर छोटे, कंवरगुडा, भद्रीउडान, अमलीडीपा, खरी बडे, मुडियाडीह, डोगिया, मुडपार छोटे, ठाकुरदिया, तामनडीह, केवटिनढोडी, परसाडीह
10	केडार	परसदा बडे	परसदा बडे, टांडीपार, कलमी, परसापाली, बोरिदा, परसकोल, गायदरहा, देवारपाली, साल्हे
11	छिंद	कटेली	कटेली, कोतमरा, खरी छोटे, बेलपाली, बोईरमाल, सराईपाली, सोडका, टेढीनाला, तेंदुढार, पुटिया, जामपाली, बासनपाली, बोरिद, सहसपानी, भेजनार, रापागुला, जुनाडीह, खैरहा, होलधरपाली, चंदाई,
12	कोतरी	हरदी	हरदी, जिल्दी, दर्भाटा, मौहापाली, महकमपुर, सुवाताल, नंदेली, कुराहा, चुरेला, कौवाताल
13	गुडेली	खैरा बडे	हिरी
14	भेडवन		छर्रा
15	गाताडीह	कोसीर	घोटला छोटे, छतौना, भीखमपुरा, खैरा बडे, पिण्डरी, ग्वालिनडीह
		जशपुर	कोसीर, भांटागांव, कुम्हारी, पाठ, भद्रा, सिंघनपुर, बटाउपाली, डंगनिया, रीवापार, सिलादेई, सिलयारी, रक्शा, मुडवाभांठा
16	दानसरा	सालर	जशपुर, अंडाला, जामपाली, नवापारा, दहिदा, मल्दा अ, रेल्हा, पासिद
17	उलखर	बरदुला	सालर, कन्दुरपाली, खैरझिटी, गोडा, टांगर, टाडापाली, बैगिनडीह, बटाउपाली ब, बघनपुर, भीमखोलिहा, रेंगालमुडा, हसौद
18	लोधिया	गोबरसिंघा	गंतुली छोटे, खुडबेना, कपिस्दा अ, बरदुला, बरभांठा, बडे गंतुली, तिलाईदादर, रामपुर
			गोबरसिंघा, तारेसिंघा खोखेपुर, कारीगांठी, मारोदरहा, केनाभांठा,

			लंकापाली, बांजीपाली, मौहापाली, डडाईडीह
19	बडे नवापारा	कंठीपाली	रिसोरा, बम्हनीपाली, बैगिनडीह, जटियापाली, कंठीपाली, बरमपुरा, सहजपाली, अमोदा, गोपालपुर, लक्ष्मणपाली (वीरान)
20	बार	देवगांव	देवगांव, नाचनपाली, अमेरी, पिक्रीमाल, बोरे,
21	बोन्दा	पंचधार	पंचधार, छेवारीपाली, पुजेरीपाली, रतनपाली, नवापारा छोटे, महाराजपुर, बिलाईगढ़
22	सरिया		बुदबुदा, चांदागढ़
23	खडगांव (180)	गेरसा	नागदरहा, सिंवार, बरपाली, बरतापाली, आमापाली, आमागांव, छेरचूची, गेरसा, बागडाही, सागरपुर, नवागांव, पंडरीपानी
24	जोबी	फरकानारा	चीताकठरा, नंदगांव, पुछियपाली, तुमीडीह, फरकानारा, डेराडीह, छोटे पडरमुडा, डोमनारा, छिरपानी छोटे, आगासमार
25	कोडतराई	कछार	कछार, लेबडा, कांशीचुआ, देवरी, हरदीझरिया, डुमरपाली
26	तारापुर	धनागर	कुसमुरा, धनागर, जोरापाली, कोसमनारा, जामपाली, बघनपुर, बनहर
27	तेतला	तिलगी	तिलगी, कारीछापर, रैबार, चिखली, नंदेली, लंकापाली
28	जतरी	छिछोर	छिछोर उमरिया, गोतमा, केशापाली, ठाकुरपाली, बोंदा, जिलाडी, सिंहा, कोतासुरा
29	पडिगांव	उमरिया	बाराडोली, टिनमिनी, परसापाली, चंघोरी, सिंगपुरी, खपरापाली, रायपाली, नवापारा

अनुसूची – तीन

क.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्य क्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	दुलोपाली	झाल, सेमरापाली, बनवासपाली, लीमपाली, खम्हरिया, केरमेली, अकबरटोला, जोगनीपाली, कालाखूंट, सराईपाली, तरेकेला, छैलभाटा, ढोसरबहाल, बनहर	—	कालाखूंट
2	तौसीर	कमलापानी	लेन्धा	—
		बिजामाला	—	करनपाली
		करनपाली, छुहीपाली, कपरतुंगा, कलगाटार, पडकीपाली, पडकीडिपा, मेकरा, करपी, टेकापत्थर, पारधियापाली, महुआपाली, कर्मांमाल, हट्टापाली, अमलीपाली, मंजूरपाली, छिंदपतेरा, जगदीशपुर		
3	लेन्धा	हेडसपानी, नूनपाली	तौसीर	—
		बैगिनडीह	—	कुम्हारी
		कुम्हारी, कटंगपाली ब, प्रधानपुर, बघनपुर, बेंगची, मेंडरा, सराईपाली, हिरी		
4	खम्हार	पोरिया, नेवार, सिरकी, संगरा, बोरो, जबगा, बलपेदा, राजिदा, जमरगी डी, चुनचुनीडांड, लक्ष्मीनगर, सेमिपाली खुर्द, लक्ष्मीपुर, गवरघुटी, अमली टिकरा, मिरिगुडा, रामपुर	—	जमरगी डी
		पखनाकोट, सुपकालो, कमराई	कापू	